IV 119/14

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

उप रोकड़िया

- 3 NOV 2014

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

कोषागार-मीरजापुर

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 642680

आस्था चैरिटेबुल ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

प्रस्तुत न्यास विलेख आज दिनांक 13.11.2014 को शशांक सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम पटेहरा पो0 पखवैया तहसील सदर जिला मीरजापुर उ0प्र0 द्वारा निर्मित किया गया जिन्हे आगे प्रधानन्यासकर्ता/संस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष कहा जायेगा। न्यासकर्ता/ संस्थापक रू0 11000.00/–(ग्यारह हजार रूपये मात्र) की राशि सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति संहरणीय चौरिटेबुल न्यास (Irrevocable Charitable Trust) बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवम् विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा और यह ट्रस्ट आस्था चौरिटेबुल ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा, जिसे कि आगे ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतो से जिसमें दान, उपकार,ऋण आदि भी सम्मिलित है, के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यो में प्रभावी रूप से सफल हो सके।

आस्था चैरिटेबुल ट्रस्ट

आस्था चैरिटेबुल ट्रस्ट

प्रधान

भाग 1

| प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला |

उपनिबन्धक सदर क्रम सं0 23856

मीरजापुर

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 14-Nov-2014

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम शशांक सिंह

लेख का प्रकार यास पत्र

प्रतिफल की धनराशि 0.00 / 0.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 100.00
2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 20
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुख्तारनामा के अधिप्रमाणी करण के लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविधि
7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 120.00

शुल्क वसूल करने का दिनांक 14-Nov-2014

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र

वापस करने के लिए तैयार किया 14-Nov-2014

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AT 436700

...रू0 11000.00/–(ग्यारह हजार ...क्त अन्य कोई चल–अचल सम्पत्ति न्यास में नहीं है।

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय प्लाट नं0 66 पटेहरा पो0–पखवैया थाना चिल्ह मीरजापुर उ0प्र0 रहेगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

और क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्व एवं घोषित किया जाता है।

"आस्था चैरिटेबुल ट्रस्ट' :

अद्देश्य एवं नियमावली :

(A) ट्रस्ट के उद्देश्य :–

ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा–

1. पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्वाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रो, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रो, सर्वेक्षण केन्द्रों तथा सामुदायिक विकास केन्द्रो, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास, सम्बद्व, आबद्व, प्रबन्ध, संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं स्तरों शासन आदि से उन्हें मान्य, सम्बद्व, आवद्व, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।

आस्था चैरिटेबुल ट्रस्ट
प्रधान न्यासकर्ता/अध्यक्ष

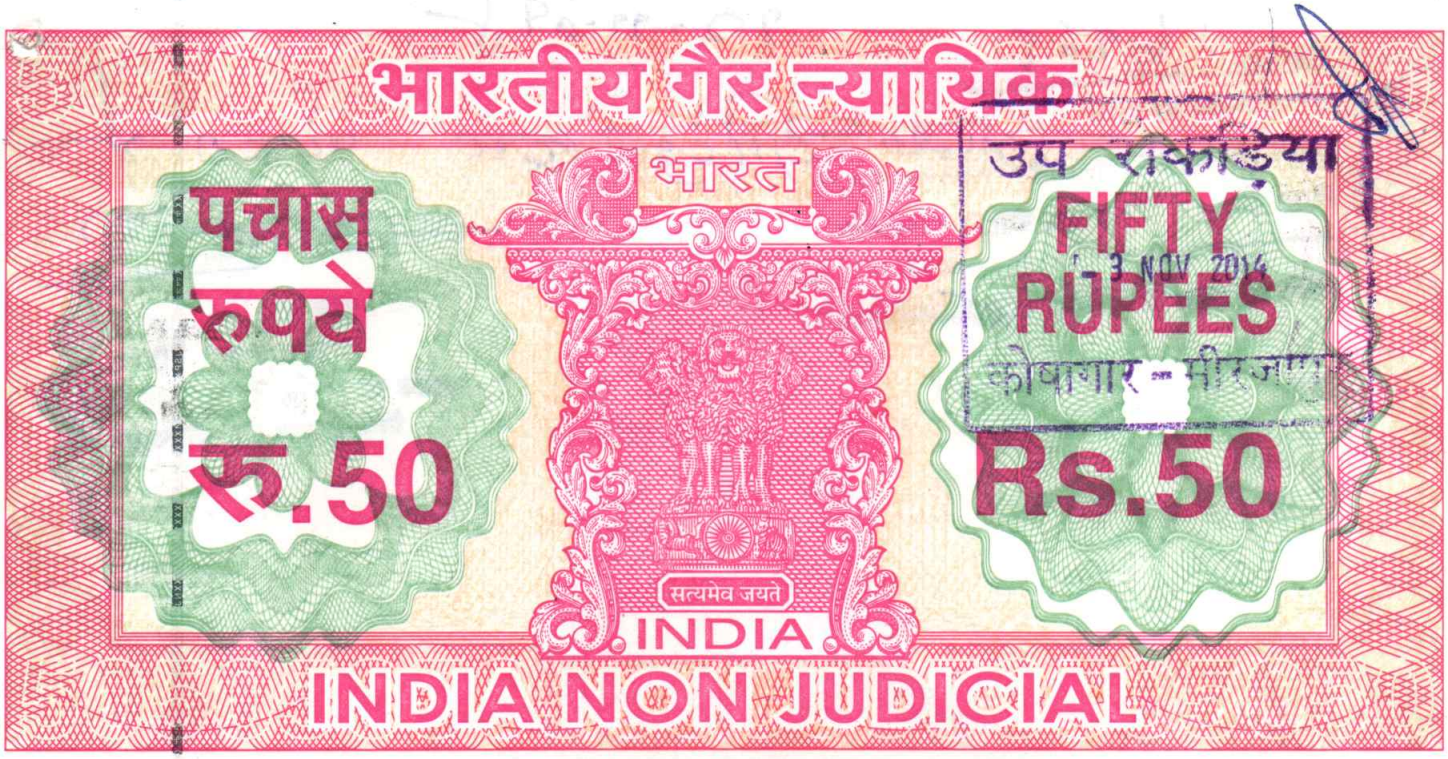

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AT 436701

2. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक, प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, समाजिक, आधुनिक भाषा अंग्रेजी, उर्दू कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तीरय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
3. नागरिकों विशेष कर बालक, बालिकाओं, युवक, युवतियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सर्वागीण विकास तथा स्वावलम्बी बनाने हेतु खादी ग्रामोद्योग गोर्ड की येाजनाओं को संचालित करना।
4. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्रओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास सुविधाओं आदि की व्यवस्था कर सकना।
5. विभिन्न कक्षाओं, वर्गो के लिए पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करना, परीक्षाएँ लेना।
6. पुस्तकों, साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।
7. शिक्षा एवं शिक्षा पद्वतियों का विकास कर सकना तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कर सकना।
8. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएँ, बैठक, विशेष कक्षाएं, सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
9. समाज कल्याण विभाग, नावार्ड, कपार्ट, परिवार कल्याण विभाग, पर्यावरण, मानव संसाधन मंत्रालय, एड्स पर कार्य कर सकना।
10. सिलाई, कढ़ाई बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग आदि की शिक्षा कर सकना।

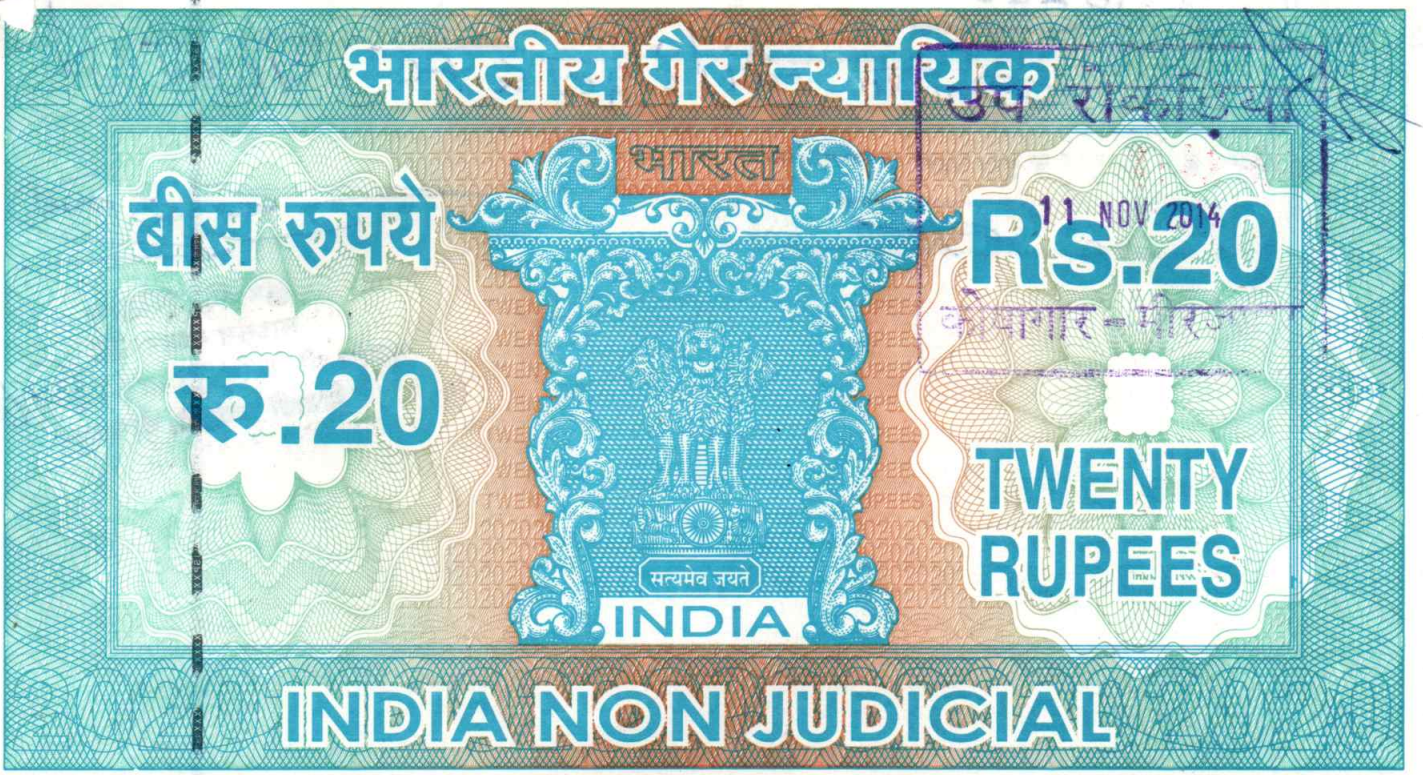

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 648214

11. सामाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय अखण्डता के अक्षुण्य रखने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, पालिटेक्निक, सी0टी0आई0, आई0टी0आई0 पुस्तकालय, फार्मेसी, फीजियोथीरेपी आदि संस्थानों की स्थापना कर सकना तथा इनकी शाखाओं की स्थापना, चिकित्सा केन्द्र, अस्पताल, प्रेस की स्थापना, संचालन, विकास आवद्व, लैब टेक्नीशियन, सम्बद्व प्रबन्ध आदि कर सकना।
12. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित कर सकना एवं ट्रस्ट में ऐसे संस्थानों को प्राप्त करना, समायेजित कर सकना।
13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय, संगठनों, संस्थाओ, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
14. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
15. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।
16. कृषि उपयोग कार्य कर सकना व उसका प्रचार प्रसार कर सकना।
17. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
18. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।
19. पुस्तक, पुस्तिकाएँ पत्र–पत्रिकाएँ, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, मुद्रित, सम्पादित, वितरित, विक्रय कर सकना।

आस्था चैरिटेबल ट्रस्ट

प्रधान .../ अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 31AA 648215

20. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
21. पत्राचार द्वारा अध्यापन/अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकता तथा तत्सविधित आवश्यंक व्यवस्थाएं कर सकना।
22. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
23. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोधार कर सकना।
24. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यकमों का आयोजन कर सकना तथा कियान्वयन कर सकना।
25. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिहन आदि प्रदान कर सकना।
26. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालयों /इंजीनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार (Franchise) प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार (Franchise) अन्य को प्रदान कर सकना। कोई समिति स्वयं या अपने द्वारा संचालित, किसी भी तरह के संस्थान को न्यास में समाहित करने की इच्छुक हो तो, उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने होने पर, न्यासियों एवं न्यास मण्डल/बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही संस्था/समिति को न्यास में समाहित किया जा सकेगा और वह समिति/संस्था न्यास की संस्था (सम्पत्ति) मानी जायेगी।
27. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्वि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।

आस्था चैरिटेबल ट्रस्ट

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 648216

28. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी सेवाएँ/वस्तुएँ/लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़न्जा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना।
29. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा, जन कलयाण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा, एवं बंजर भूमि, खादी ग्रामाद्योग बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नेहरू युवा सुधार हेतु रोजगार केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना।
30. ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
31. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवाओं का संचालन करना।
32. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना। गरीब असहायें एवं जरूरतमन्दों को निःशुल्क शिक्षा देना पिछड़े वर्गो, अनु0जातियों, अनु0 जनजातियों को अच्छी शिक्षाओं तथा भारत के किसी भी हिस्से में (संध शासित राज्यों में भी) शैक्षिक संस्थाओं, कृषि विज्ञान, कम्युनिटी, विकास केन्द्रों, अनुसंधान संस्थाएँ, महिला कल्याण योजनाएँ, राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम, स्वास्थ्य केन्द्र या कोई भी कार्य किसी स्थान पर बनाने, प्राप्त करने, शुरू करने ओर बरकरार रखने के लिए कार्य करना।
33. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना।
34. कृषकों को फूल एवं औषधीय खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
35. कृषको के उत्था एवं विकास हेतु पॉलीक्लीनिक का निर्माण करना।

प्रधान न्यासकर्ता / अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 31AA 648231

(B) प्रारम्भिक उपबन्ध–

1–वर्तमान् में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत की दिनांक से शशांक सिंह को न्यासकर्ता एवं इस न्याय विलेख के रचयिता (Author of Deed) भी है, को ट्रस्ट का मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है तथा शशांक सिंह पुत्र सुरेश सिंह श्रीमती सुशीला सिंह पत्नी श्री सुरेश सिंह, प्रशान्त कुमार सिंह पुत्र सुरेश सिंह, सुरेश सिंह पुत्र स्व0 रामप्यारे सिंह, श्रीमती पुजा सिंह पत्नी शशांक सिंह, श्रीमती निलम सिंह पत्नी प्रशान्त कुमार सिंह,श्रीमती रश्मी सिंह पुत्री सुरेश सिंह निवासीगण ग्राम पटेहरा पो0 पखवैया तहसील सदर जिला मीरजापुर व बंशराज सिंह पुत्र स्व0 लाल मणि सिंह, रमाशंकर सिंह पुत्र स्व0 श्री श्याम नरायण सिंह, सुनील कुमार सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह, विजय कुमार सिंह पुत्र बंशराज सिंह निवासी गम्भीर सिंहपुर (सवरा) पो0 औराई जिला भदोही (सन्त रविदास नगर) को ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है।

2–यह कि ट्रस्ट डीड वर्तमान मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष शशांक सिंह द्वारा रजिस्टार के यहॉ रजिस्टर्ड कर सुनिश्चित कर दी जाय तो शशांक सिंह के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उनकी पत्नी तत्पश्चात पिता, भाई, पौत्र को मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा। मैनेजिग ट्रस्टी शशांक सिंह की पत्नी पिता, भाई, पौत्र, प्रपौत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उत्तराधिकारी पुत्री होगी। यह क्रम चलता रहेगा। इनके उत्तराधिकारियो के अलावा कोई बाहरी (अतिसन्निकट का ही व्यक्ति क्यो न हो) किसी भी परिस्थिति में ट्रस्ट का ट्रस्टी व मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष या ट्रस्टी द्वारा कभी भी किसी बाहरी (उत्तराधिकारियो के अतिरिक्त) व्यक्ति के नाम ट्रस्ट में सम्मिलित करने हेतु रजिस्ट्रार के यहॉ वसीयत या कोई पत्र रजिस्टर्ड करा दिया जाता है तो वह अवैध माना जायेगा। उत्तराधिकारी (पत्नी/पुत्र) आजीवन ट्रस्टी रहेगे।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 31AA 648222

उक्त नियमो में कोई भी परिवर्तन, परिमार्जन, परिवर्धन किसी भी परिस्थिति में कभी नही किया जा सकता है।

3. वर्तमान मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियो को अन्तरित कर सकते है।

4. यदि मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष की मृत्यु के समय उत्तराधिकारी अवस्यक है तो उनकी ओर से उनकी मॉ मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्टी का कार्य तब तक सभॉलेगी जब तक कि उनके उत्तराधिकारी कानूनी रूप से बालिग न हो जाय।

(C) मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरणः–

1– मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।

2– मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद अपने पुत्रो में से किसी को प्रदान कर सकता है।

3–किसी भी व्यक्ति के मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगे जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये है।

4– मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओ से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

आस्था चैरिटेबल ट्रस्ट

प्रधान न्यास/अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 31AA 648223

5– मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दे। मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहॉ कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ मे यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन–काल के उत्तरार्द्व में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

6–यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कार्यरत मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर सकता है जिस पर पुर्नविचार का अधिकार मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष में सुरक्षित रहेगा।

7–कार्यरत मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारियो को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारो सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज–

1–यह कि मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विभिन्न विषयो पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें कि अधिकतम 11 सदस्य होगे।

2–यह कि मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को बोर्ड आफ ट्रस्टीज मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा बोर्ड आफ ट्रस्टीज की कार्य अवधि मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बोर्ड आफ ट्रस्टीज के पद से हटा सकता है। बोर्ड आफ ट्रस्टीज, मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुग्रह तक/प्रसाद पर्यन्त ही कार्य करेंगे।

आस्था चैरिटेबल ट्रस्ट

प्रधान न्यासकर्ता/अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 31AA 648224

3–यह कि मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझें बोर्ड आफ ट्रस्टीज, की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।

4–यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्ही बिषयो पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

5–यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एंव विवेक पर निर्भर करता है इस सन्दर्भ में मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

6– **मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार**– मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अर्न्तगत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दे। मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष के कार्यकलापो में किसी भी स्तर पर कोई दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षो को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

(E)– मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यालय एवं सुविधाएँ:–

1–यह कि मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न आवश्यकताओ से युक्त निवास कार्यालय एंव वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओ के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप सें मान्य होगा।

आस्था चैरिटेबल ट्रस्ट
प्रधान न्यासकर्ता/अध्यक्ष

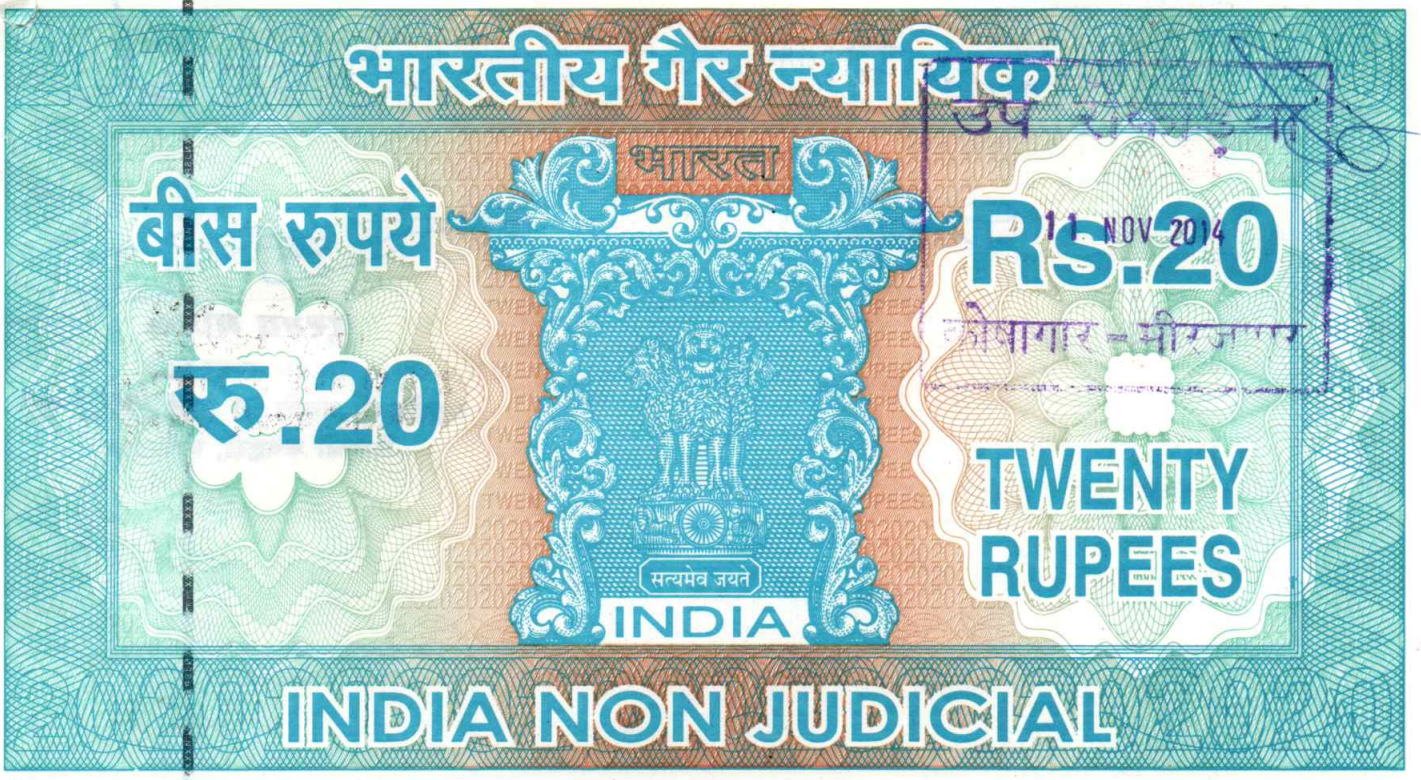

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 31AA 648225

2–यह कि मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि प्राप्त कर सकता है मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा मानदेय/भत्ते पर यदि कोई आयकर लगाता है तो मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से आयकर का भुगतान करेगा ट्रस्ट इसके लिये उत्तरदायी नही होगा।

(F)–**कार्यक्षेत्र**– ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण विश्व में होगा, वह सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

जी0– सचिव/उपसचिव की नियुक्तिः–

1–यह कि मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को एवं देखभाल करने के लिये ट्रस्ट के लिये एक सचिव एवं आवश्यकता पडने पर एक अथवा अधिक उपसचिवो की नियुक्ति कर सकेगा।

2–यह कि सचिव/उपसचिव के वेतन भत्ते सुविधाएँ, कार्य मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगे।

3–यह कि उक्त सचिव/उपसचिव, मैनेजिग ट्रस्टी के अनुग्रह तक/प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगे। मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदो पर कार्यरत व्यक्तियो के विरूद्व प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। तथा उक्त पक्षो के अधिकार एवं कर्तव्य किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

(H)–उपाध्यक्ष की नियुक्ति–

आस्था चैरिटेबुल ट्रस्ट

प्रधान न्यासकर्ता/अध्यक्ष

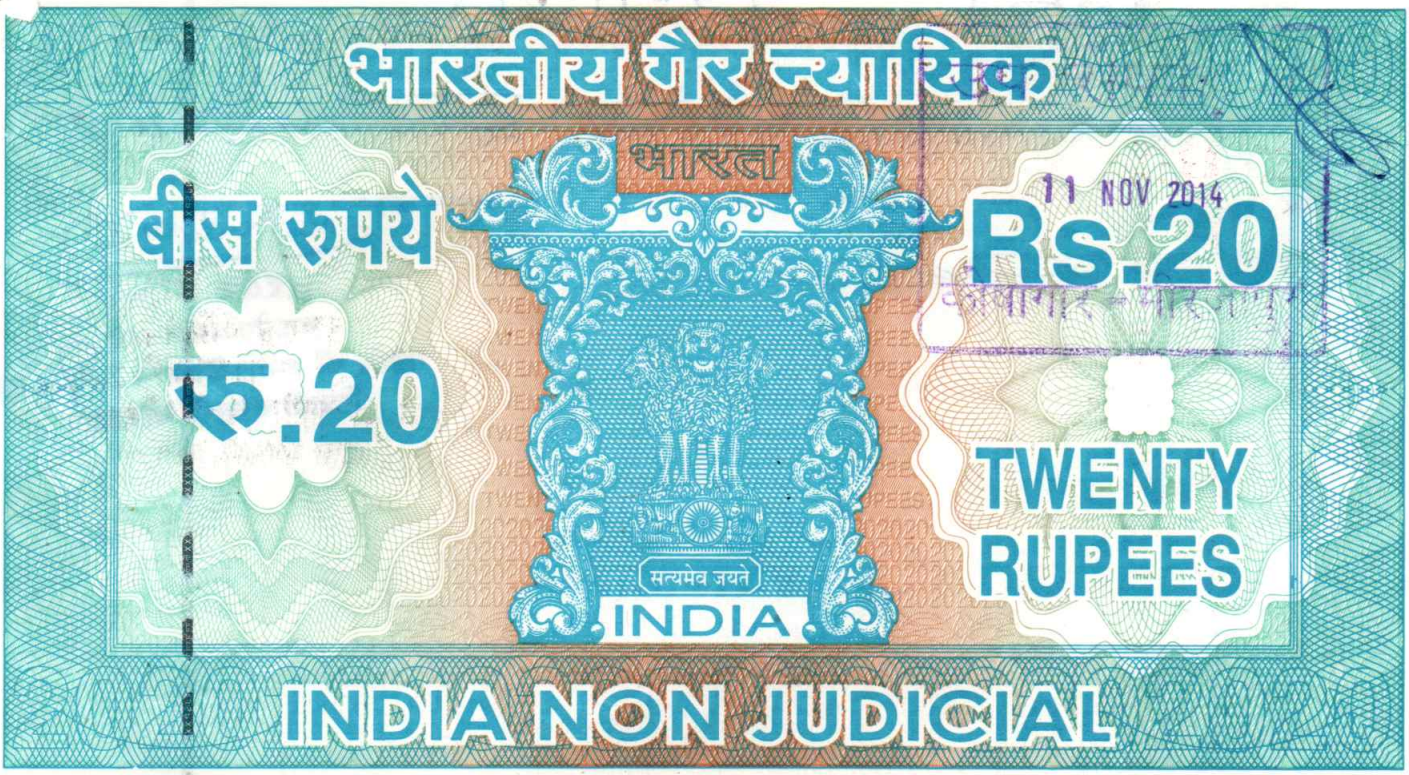

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

11 NOV 2014

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 648226

1– मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करनें व देख–भाल करने के लिये एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एव आवश्यकता पडने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षो की नियुक्ति कर सकेगा।

2–यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षो के वेतन भत्ते, सुविधाए कार्य नियम मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगे।

3–यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षो मैनेजिग ट्रस्टी के अनुग्रह तक /प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगे मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदो पर कार्यरत व्यक्तियो के विरूद्व प्रशासनिक/अनुशासनात्मक प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियो को उनके पदो से सटा सकता है तथा इन पदो पर नियुक्तियॉ कर सकता है अथवा उक्त पदो के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित व प्रदान कर सकता है।

आई0– मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः–

यह कि डीड के अर्न्तगत अध्यक्ष/ ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यो के अतिरिक्त अध्यक्ष/ ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होगें।

1–बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

2–ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायित्व ढंग से देख–रेख करने के लिये ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सचिव, उपसचिवो की नियुक्ति करना।

3–इस डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्टार के यहॉ पंजीकृत/रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

आस्था चैरिटेबुल ट्रस्ट

प्रधान न्यासकर्ता/अध्यक्ष

भारतीय गैर न्यायिक
बीस रुपये
रु.20
Rs.20
TWENTY RUPEES
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
31AA 648227

(J) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः

1. अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार/विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

(K) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्यः

ट्रस्ट के समस्त कार्यो के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यवाही करने हेतु उत्तरदायी है। ट्रस्टी के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार है–

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्य कलापो एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक, प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।
4. विभिन्न कार्य–कलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/ विभागों/ केन्द्रों/ संस्थाओं/उप संस्थाओं का कार्य कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियो आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उप नियम बना सकना।
5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जॉच हेतु निर्णायक नियुक्त कर सकना।
6. एक से अधिक विशेष अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति मे उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/विपणन/विक्रय सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन–सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 31AA 648228

(L) उप सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से दिये गये कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

(M) बैंक एकाउण्ट :

1. ट्रस्ट का खाता किसी बैंक में खोला जा सकेगा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशो के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा सम्बलित कर सकता है। सामान्यतया खाता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा संचालित होगा अथवा उनके निर्देश पर खाते का संचालन दो लोग भी (ट्रस्टियों मे से) संयुक्त रूप से कर सकते है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय के नमा से बैंक खाता, खोला व संचालित किया जा सकता है। ऐसी स्थीति में ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय केन्द्र कार्यक्रम इकाई के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष के निर्देशानुसार बैंक खाता खोलकर संचालित किया जा सकेगा। जिसमे परिवर्तन का एकाधिकार अध्यक्ष मे निहित होगा।

(N) विधिक कार्यवाही : ट्रस्ट का विवाद न्यायालय में नहीं किया जायेगा। भविष्य में यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई

आस्था चैरिटेबुल ट्रस्ट
Shashank Singh
प्रधान न्यासकर्ता/अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 31AA 648217

विधिक कार्यवाही होती है, तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता हैं न्यास सम्पति व न्यास के संचालन व प्रबन्धन के बावत न्यायसियों के विवाद के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय में वाद किसी भी परिस्थिति में प्रस्तुत करने का अधिकार नही होगा, यदि कोई विवाद न्यास व उनके संचालन प्रबन्धन के बाबत उत्पन्न होता है तो पंचायत द्वारा निर्णित किया जायेगा। पक्षो की नियुक्ति अथवा नामकरण न्यासियों व अध्यक्ष (ट्रस्ट/अध्यक्ष) द्वारा किया जायेगा। भविष्य में किसी सहायक न्यासी या दस्य द्वारा किसी विवाद को लेकर न्यायालय में जाता है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(0) सम्पति सम्बन्धी :

1. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में अध्यक्ष की ओर से कोई निर्णय लेने लेख विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को अंकित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णत्या स्वतंन्त्र है।
3. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति कय/विकय कर सकता है। किराये पर दे सकता है ले सकता है।
4. ट्रस्ट किसी से ऋण दान उपहार भेट स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है। और दे सकता है।
5. ट्रस्ट धन को कही भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति को विनियोजित कर सकता है।

आस्था चैरिटेबल ट्रस्ट
Shashank Singh
प्रधान न्यासकर्ता / अध्यक्ष

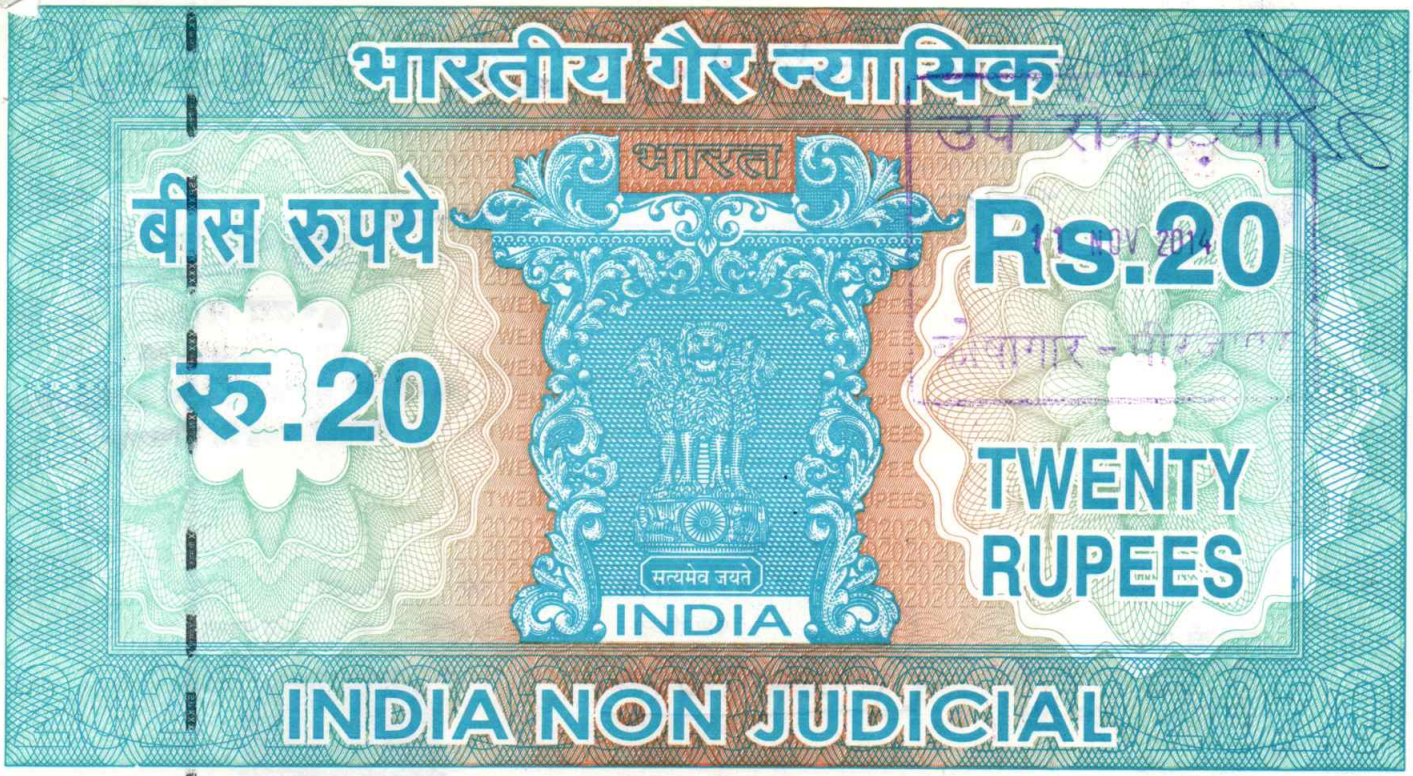

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (16) 31AA 648218

6. चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति (Gurantee) भाड़ा क्रय (Hire Purchase) अनुज्ञप्ति (Licence) बन्धक (Mortgage) भारित (Charge) गिरवी (Pledege) विभाजित (Partition) आदि कर सकता है/ले सकता है/ दे सकता है।

(P) विशेष :–

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय/संस्था/उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम इत्यादि बनाये जा सकते है, परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट **आस्था चैरिटेबुल ट्रस्ट** के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगे तथा मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा बनायी गयी सतिति, उप समिति, उप समिति को स्वेच्छानुसार भंग करके उनका अधिकार अपने में निहित किया जा सकेगा तथा विवेकानुसार समिति, उप समिति का गठन किया जा सकेगा।

(ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्ही प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान/प्राविधानो के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक/व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कभी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

आस्था चैरिटेबुल ट्रस्ट
Shashank Singh
प्रधान न्यासकर्ता/अध्यक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

11 NOV 2014

कोषागार – मीरजापुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 648219

(ग) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/व्यक्तिगत किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय/मेडिकल कालेज/विधिमहाविद्यालय/इंजीनियरिंग कालेज/ पालिटेक्निक /आई0टी0आई0 / सी0टी0आई0/पुस्तकालय/फार्मेसी/फिजियोथेरेपी आदि संस्थानों काग्रक्रमों /इकाई / कार्यालय/संस्था/उपक्रम के काग्र संचालन के लिए पृथक से नियम, उप नियम बनाया जायेगा व तत्सम्बन्धी विश्वविद्यालय, बोर्ड, सरकारी/अर्द्ध सरकारी व मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/विभाग इत्यादि की आवश्यकतानुसार प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा जिसमें ट्रस्ट द्वारा नामित व्यक्ति ही सदस्य व पदाधिकारी होगे। नामित व्यक्ति बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अथवा बाहर के सदस्य भी हो सकते है। समिति/उप समिति के खातों का संचालन इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी समिति/उप समिति का सदस्य (अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध) आजीवन पदेन होगा और समिति/उप समिति के खातो का संचालन इस ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा नियमानुसार/आवश्यकतानुसार समिति/उप समिति का अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक बनकर किया जायेगा और आर्थिक प्रकरणों पर सहमति/अनुमति एवं अनुमोदन ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(घ) समिति के दो निदेशक अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जा सकते हैं, जो संस्था के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक वातावरण को बनाने में सहयोग करेंगे।

"आस्था चैरिटेबुल ट्रस्ट' की उक्त न्यास विलेख (Instrument of Trust) एवं उसमें सन्निहित आस्था चैरिटेबुल ट्रस्ट की उद्देश्य एवं नियमावली, एतद्द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल कार्यान्वित की जाती है।

आस्था चैरिटेबुल ट्रस्ट

Shashi Singh

प्रधान न्यासकर्ता / अध्यक्ष

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
बीस रुपये
रु.20
Rs.20
TWENTY RUPEES
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

11 NOV 2014

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 31AA 648220

(18)

उक्त न्यास विलेख (Instrument of Trust) को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

(शशांक सिंह)
संस्थापक / अध्यक्ष
आस्था चैरिटेबुल ट्रस्ट
Shashank Singh

साक्षीगणः–

1. नाम : अनुपम सिंह पुत्र योगेन्द्र प्रताप सिंह
   पताः पटेहरा, पचबेपा, चील्ह मीरजापुर
   अनुपम सिंह

2. नाम : कृष्ण कुमार दुबे
   पता : दीवानी कचहरी अजहर इमाम ... मीरजापुर

मसविदाकर्ताः– Shiv Mohan Upadhyaya Adv.